



किस्पाड गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

भाग-१

किस्पाड गाउँपालिका

किस्पाड गाउँ सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ।

संवत २०७८ सालको ऐन नं. १

किस्पाड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति: २०७८।०३।१०

प्रमाणीकरण मिति: २०७८।०३।२५

प्रस्तावना::: किस्पाड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम किस्पाड गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्ररम्भ:

(१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ।

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ देखि किस्पाड गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ती तथा भूमि कर:

(१) किस्पाड गाउँपालिका क्षेत्र भित्र अनुसूची (१) बमोजिम भूमि कर लगाइने छ ।

३. घर बहाल कर :

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूचि (२) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

४. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूर्जिगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूचि (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल तथा पुन प्रयोगीय र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जडिबुटी तथा जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेवापत (अनुसूचि ४) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. सवारी साधन सेवा दस्तुर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम स्थानीय सेवा शुल्क लाग्ने छ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

७. विज्ञापन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

८. बहाल बिटौरी शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको अनुसूचि(७) मा उल्लेख भए अनुसार हाट वजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

९. पार्किङ शुल्क गाउँपालिका: क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (८) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. ट्रैकिङ, क्यानोइझ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर शुल्क: ट्रैकिङ, क्यानोइझ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरेवापत अनुसूचि(९) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. सेवा शुल्क, दस्तुर: गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (१०) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१२. पर्यटन शुल्क: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट (अनुसूचि ११) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१३. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई गाँउसभाको निर्णय विना कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

१४. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधियो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूचि १

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने घर करको दर

सम्पत्ती कर, भुमिकर/मालपोत (घरको वर्गिकरण सहित) कर

| क्र.सं | घरको किसिम | आ.व. २०७८।०७९ का लागि अनुमानित दर | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|
| | | आवासीय प्रयोजन | व्यवसायिक प्रयोजन |
| १ | दुङ्गा माटोको जोडाइ खरको छाप्रो | ० | |
| २ | दुङ्गा माटोको जोडाइ १-२ तले खरको छानो भएको घर | ० | |
| ३ | दुङ्गा माटोको जोडाइ टिनको घर | ५० | |
| ४ | दुङ्गा माटोको जोडाइ २/३ तले टिन वा दुङ्गाको छानो भएको बारतली सहितको घर | १०० | |
| ५ | दुङ्गा माटो सहित सिमेन्टले प्लाष्टर गरेको घर | १५० | ५०० |
| ६ | पिलर बिम सहितको टिनले छाएको बिना ढलानको घर | १५० | १००० |
| ७ | पिलर बिम सहितको ढलान गरिएको घर | ५०० | २००० |

मालपोत कर : आब्बल र दोयम जग्गाको प्रति रोपनी रु. १५ र सिम चाहारको रु १० कर लाग्नेछ ।

बिलम्ब शुल्क (जरिवाना) १० प्रतिशत प्रतिवर्ष

अनुसूचि २
(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

घर बहाल कर :

क) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक बहालमा दिएकोमा बहाल रकमको १० प्रतिशत घर बहाल रकम तिर्नुपर्नेछ।

अनुसूचि ३
(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने व्यवसाय करको दर

| क्र.सं. | व्यवसाय | दर्ता(वार्षिक) | नविकरण (वार्षिक) | कैफियत |
|---------|--|----------------|------------------|--------|
| १ | ज्वलरी सुन चाँदी पसल | १००० | ५०० | ० |
| २ | सून चाँदी जलप लगाएका गरगहना वेचविखन | १००० | ५०० | ० |
| ३ | भिडियो क्यामेरा | १००० | ५०० | ० |
| ४ | इलेक्ट्रिक सामानको पसल(घडी, रेडियो, टिभी.मोबाइल मर्मत) | १००० | ५०० | ० |
| ५ | भाँडा पसल | १००० | ५०० | ० |
| ६ | हार्डवयर | २००० | १००० | ० |
| ७ | इन्धन विक्रि पसल | १००० | ५०० | ० |
| ८ | फर्निचर शो रुम | १००० | ५०० | ० |
| ९ | खाद्यन्न किनारा पसल थोक विक्रेता | १००० | ५०० | ० |
| १० | खाद्यन्न किनारा पसल खुद्रा विक्रेता | १००० | ५०० | ० |
| ११ | फलफूल पसल (तरकारी) | १००० | ५०० | ० |
| १२ | गेष्ट हाउस | १००० | ५०० | ० |
| १३ | होम स्टे व्यक्तिगत/सामूहिक | १००० | ५०० | ० |

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

| | | | | |
|----|--|-------|------|-------|
| १४ | स्टेशनरी | १००० | ५०० | ० |
| १५ | वित्तीय बैंक (नेपाल सरकारको स्वामित्व वाहेक) प्रतिवर्ष | | | २०००० |
| १६ | फाइनान्स तथा लघु वित्त प्रतिवर्ष | | | ५००० |
| १७ | बहुउद्देश्यीय सहकारी-ऋण, वचत प्रति लाख | | | १०० |
| १८ | कृषि सहकारी प्रति लाख | | | ५० |
| १९ | विमा कम्पनी प्रतिवर्ष | | | २००० |
| २० | औषधी पसल | १००० | ५०० | ० |
| २१ | दाँत बनाउँने | १००० | ५०० | ० |
| २२ | कम्प्युटर प्रशिक्षण तथा तालिम | १००० | ५०० | ० |
| २३ | व्युटि पार्लर, | १००० | ५०० | ० |
| २४ | निजी क्षेत्रका विद्यालय मा.वि. तह प्रतिवर्ष | | | ५००० |
| | निजि क्षेत्रका विद्यालय आधारभूत तह प्रतिवर्ष | | | २००० |
| २५ | सवारी साधन मर्मत | १००० | ५०० | ० |
| २६ | फोटो स्टुडियो | १००० | ५०० | ० |
| २७ | गै.स.सं. प्रतिवर्ष | | | २००० |
| २८ | अन्तराष्ट्रिय गै.स.सं. | | | ५००० |
| २९ | मासु पसल | १००० | ५०० | ० |
| ३० | पिकनिक पार्क स्पोर्ट(प्रति पटक) | | | ५०० |
| ३१ | घ वर्गको ठेक्का इजाजत | १५००० | ७५०० | |
| ३२ | कपडा पसल | १००० | ५०० | |
| ३३ | सूचीकार टेलर्स | १००० | ५०० | |
| ३४ | घुम्ती पसल स्थानीय ५०० प्रति महिना | १०० | ५० | |
| | घुम्ती पसल बाह्य १००० प्रति महिना | | | |
| ३५ | जुता चप्पल विक्री पसल | १००० | ५०० | |

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

| | | | | |
|----|---|------|-----|------|
| ३६ | राइस मिल कुटानी पीसानी सिंगल फेज रु १००० र त्रिपल फेज रु २००० | १००० | ५०० | |
| ३७ | ज्योतिष पसल | १००० | ५०० | |
| ३८ | सवारी साधन दर्ता(स्कुटर, मो.सा., अन्य चार पाँडे) | १००० | ५०० | ---- |
| ३९ | निजी कार जीप | १००० | ५०० | |
| ४० | ट्रायाक्टर | १००० | ५०० | |
| ४१ | निजी मिनीबस, ट्राभल बस | १००० | ५०० | |
| ४२ | रेमिट्रायान्स सेवा | | | १००० |
| ४३ | उर्जामूलक उद्योग(जलस्रोत, वायू, सौर्यउर्जा, कोइला तथा अन्य स्रोतहरूबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसाय) | | | ५०० |
| ४४ | कृषि वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा | | | ५०० |
| ४५ | पर्यटन उद्योग(आवास, होटल, ट्राभलएजेन्सी पदयात्रा, ग्लाइडिङ) | | | ५०० |
| ४६ | साइनबोर्ड बनाउने पेन्टिङ सेवा | १००० | ५०० | |
| ४७ | खाटो विक्रेता | | | ५०० |
| ४८ | समान दुवानीकर्ता तथा कम्पनी | | | १००० |
| ४९ | सैलुन | १००० | ५०० | २५० |
| ५० | पान पसल | १००० | ५०० | २५० |
| ५१ | बटन सप (धागो, टाँक, जिपर) | १००० | ५०० | |
| ५२ | गिफ्ट तथा कस्मेटिक पसल | १००० | ५०० | |
| ५३ | कामदार राखि व्यवसाय गर्ने | | | ५०० |
| ५४ | आफै गर्ने | | | ५०० |
| ५५ | ग्राहास सिलिण्डर विक्रेता | १००० | ५०० | |
| ५६ | अटोमोकानिक्स तथा इन्जिनियरिङ बस, टेक्टर, मोटरसाइकल, आदिको पार्ट्स विक्री तथा मर्मत | १००० | ५०० | |
| ५७ | टायर मर्मत तथा हावा हाल्ने तथा सिट मर्मत | १००० | ५०० | |
| ५८ | पशु आहार उद्योग फिड्स | १००० | ५०० | |
| ५९ | पाउरोटी, वरफ, विस्कुट तथा दालमोठ उद्योग | १००० | ५०० | |
| ६० | डेरी उद्योग | १००० | ५०० | |
| ६१ | जादु, सरक्षण, चटकआदिमा मासिक | १००० | ५०० | ५०० |

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

| | | | | |
|----|--|------|-----|------|
| ६१ | अण्डा विक्री | १००० | ५०० | |
| ६२ | डोको, नाम्लो, भकारी, प्लाष्टिक तथा वेतवाँसका समान विक्री पसल | १००० | ५०० | |
| ६३ | कुखुरा १००० देखि माथि पोल्टी फर्म | १००० | ५०० | |
| | कुखुरा १००० वटासम्म पोल्टी फर्म | १००० | ५०० | |
| ६४ | मेटलको भाडा बनाउने व्यवसाय | १००० | ५०० | ० |
| ६५ | केवुल प्रशारण | १००० | ५०० | ० |
| ६६ | फोटोकपी, प्याक्स लेमिनेशन, व्याण्डीडस, कुरियर | १००० | ५०० | ० |
| ६७ | कम्प्युटर, ड्राइभिङ तथा अन्य इन्स्टीच्युट | १००० | ५०० | ० |
| ६८ | छापाखाना तथा कपी किताव उद्योग प्रतिवर्ष | १००० | ५०० | |
| ६९ | रसायनिक मल वित्र विजन किटनाशक औषधी विक्री | १००० | ५०० | |
| ७० | कवाडी व्यवसाय | १००० | ५०० | |
| ७१ | मोबिल, ग्रीज विक्री | १००० | ५०० | |
| ७२ | भेटनरी सेवा | १००० | ५०० | |
| ७३ | चिया पसल | १००० | ५०० | |
| ७४ | सिनेमा हल, भिडियो हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, थिएटर, संगित तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्कमा प्रति टिकट रु. | | | ०.५० |
| ७५ | जादु, सरकश, चटक आदिमा प्रतिदिन | | | ५० |

नोट: माथि उल्लेखित छुट हुन गएका व्यवसायहरूलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी उल्लेखित विषयसँग मेल खाने किसिमको दरमा रु १०००। देखि रु १००००। सम्म लिन सकिनेछ। नविकरण आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्म गर्नुपर्ने छ। नविकरण समयअवधिमा नगरेमा माघ देखि चैत्र सम्म १० प्रतिशत, बैशाख देखि अषाढ सम्म १५ प्रतिशत र अर्को आर्थिक वर्ष देखि ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। “घ” बर्गको इजाजत पत्रको नविकरणको हकमा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत सो सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ।

अनुसूचि ४

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर:

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन भई निकासी हुने देहायका मालवस्तुमा देहायका न्यूनतम र अधिकतम कर दर सीमाभित्र र लगाइने कर :

| क्र स | नम | इकाइ | दर (न्यूनतम) |
|-------|---|----------------|--------------|
| १ | फन | प्रति केजी | रु १ |
| २ | खोटो | प्रति के जी | रु २ |
| ३ | वनकस (खर), बाबियो, पराल, निगालो लोक्ता, अम्लसो | प्रति ट्याक्टर | रु ५ |
| ४ | सिसौ, साल(चट्टा, गोलिया, चिरान) | प्रति ट्रक | रु ४०० |
| ५ | अन्य काठ (चट्टा, गोलिया, चिरान) | प्रति ट्रक | रु १०० |
| ६ | पत्थर कोइला | प्रति केजी | रु १ |
| ७ | मिनरल वाटर | प्रति बोटल | रु १ |
| ८ | भैंसी गाउँपालिकाबाट वाहिर निकासी हुँदा | प्रति भैंसी | रु ५०० |
| ९ | खण्ड बोका निकासी कर | प्रति गोटा | रु. १० |

स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरूले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रूपमा पुनः प्रयोग गर्ने देहाय बमोजिमका वस्तुमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम र अधिकतम कर दर सीमाभित्र रही गाउँसभाले तोकेको उत्पादन स्थलमा वा संकलन केन्द्रमा उठाइने कर:

| क्र स | नाम | इकाइ | दर (न्यूनतम) |
|-------|--------------------------|------------|--------------|
| १ | खालि सिसी (वियर) | प्रति गोटा | रु ०१५० |
| २ | खालि सिसी (मदिरा र अन्य) | „ | रु ०१२५ |

| | | | | |
|---|--|-------------|---------|--|
| ३ | प्लाष्टिक (बोटल), भाडाँकुडाँ, पुराना, जुता, चप्पल, रयालिन र जर्किन | प्रति के जी | रु १। | |
| ४ | खालि बोरा(प्लाष्टिकको बोरा) | प्रति गोटा | रु ०।१० | |
| ५ | जुटको बोरा | „ | रु ०।२० | |

प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग हुन सक्ने देहायबमोजिमका कवाडी मालसामानहरुमा देहायबमोजिमका न्युनतम र अधिकतम कर दर सीमाभित्र रही गाउँ सभाले तोकेबमोजिमको दरमा तोकेबमोजिमको कार्यविधि अनुरूप उठाइने कर :

| क्र स | नम | इकाई | दर (न्युनतम) | |
|-------|--|-------------|--------------|--|
| १ | भिण्डु (प्राकुतिक र कृत्रिम ऊनका टुका) | प्रति के जी | रु १ | |
| २ | गार्मेन्टको कपडाको टुका | „ | रु १ | |
| ३ | कार्पेटको टुका | „ | रु १ | |
| ४ | जुट र प्लाष्टिकको बोरा | „ | रु १ | |
| ५ | टायर ट्युब | „ | रु २ | |
| ६ | पुराने टिन, ड्रम | „ | रु १ | |
| ७ | पुराना कागज | „ | रु १ | |
| ८ | पत्रिका | „ | रु १ | |
| ९ | अन्य कागज | „ | रु १ | |
| १० | धातुका टुका | | | |
| | फलाम | „ | रु १ | |
| | पित्तल, तामा र अन्य | „ | रु २ | |
| ११ | थोनिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | „ | रु २ | |
| १२ | पोलिथिन पाइपका टुकाहरु | „ | रु १ | |
| १३ | सिसाका टुका वा धुलो | „ | रु ६ | |
| १४ | काँचको धुलो र टुका | „ | रु ४ | |

| | | | | |
|----|--|---|-------|--|
| १५ | प्रचलित कानुनले निषेधित बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुका: | | | |
| | हाड | „ | रु ४ | |
| | सिंग | „ | रु ५ | |
| | खुर | „ | रु ५ | |
| | छाला (ठूलो) | „ | रु २२ | |
| | छाला (सानो) | „ | रु १५ | |

अनुसूचि ५

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने सवारी साधनको रुट अनुमतिको दर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नियमित चल्ने सवारी साधन बार्षिक सेवा शुल्क र व्यवसायिक रूपमा आंशिक रूपमा चल्ने ।

| क्र.सं. | बिवरण | बार्षिक दर रु | यदि मासिक तिरेमा |
|---------|-----------------|---------------|------------------|
| १ | ट्रक | रु १५००० | १५०० |
| २ | बस | रु १५००० | १५०० |
| ३ | जीप | रु १०००० | १००० |
| ४ | ट्र्याक्टर ठुलो | रु १५००० | १५०० |
| ५ | ट्र्याक्टर सानो | ५००० | ५०० |

अनुसूचि ६

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने विज्ञापन करको दर

विज्ञापन कर

| सि नं | विवरण | रकम (रूपैयाँमा) |
|-------|---|-----------------|
| १ | गाडीमा सामान वोकी विज्ञापन गर्ने (प्रतिपटक) | ५०० |
| २ | स्टल राखी विज्ञापन गर्ने (प्रतिदिन) | १०० |
| ३ | कन्सर्ट (प्रतिपटक) | ५०० |
| ४ | तुल व्यानर राखी विज्ञापन-प्रतिपटक | ५०० |
| ५ | वाल पेन्ट विज्ञापन प्रति वर्ग फिट | १० |
| ६ | ग्लो साइनबोर्ड प्रति वर्ग फिट | १०० |

अनुसूचि ७

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने बहाल विटौरी करको दर

बहाल विटौरी

क) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख र सञ्चालन गरेको हाटवजार र सार्वजनिक स्थल ऐलानी जग्गा वा सार्वजनिक बाटोको छेउमा अस्थायी पसल थाप्न दिए वापत प्रति वर्गफिट रु १० देखि रु २५ सम्म मासिक बहाल विटौरी लिइनेछ ।

अनुसूचि द

(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने पार्किङ शुल्क को दर

पार्किङ शुल्क तपसिल बमोजिम हुनेछ ।

गाउँपालिकाले आफुले तोकेको कार, जीपको सुरक्षित पार्किङ क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क गर्ने कार तथा जीपमा पार्किङ गर्ने समयको आधारमा एक पटकमा बढीमा सय रुपैयाँ सम्म पार्किङ शुल्क लगाउन सक्नेछ । अन्यसबारी साधनहरुका लागि गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेका क्षेत्रहरुमा पार्किङ समयको आधारमा बढीमा पचास रुपैयाँ सम्म पार्किङ शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

अनुसूचि ९

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने ट्रैकिङ क्यानेइङ्ग, बन्जि जम्पिङ, जिपफ्लायर शुल्क को दर न्युनतम रु १००० देखि अधिकतम रु ५००० सम्म कर लगाउन सकिनेछ ।

पर्यटक आवास, होटेल, प्यारागलाइडिङ, पदयात्रा, रेष्टुरेण्ट, ट्राभल्स एजेन्सी, अश्वरोहण, मोटेल आदिको व्यावसायमा लाग्ने कर न्युनतम रु १०० अधिकतम रु ५००० सम्म हुनेछ ।

अनुसूचि १०

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने सेवा शुल्क, दस्तुरको दर

सेवा शुल्क तथा दस्तुर

गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्राहीबाट देहाय वमोजिम शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

| सि नं | विवरण | दररेट (रुपैयाँ मा) | कैफियत |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|
| १ | घर जग्गा नामसारी सिफारिस (वडा मुचुल्का दस्तुर) | १००० | |
| २ | मोही लगत कटा सिफारिस | ५०० | |
| ३ | घर कायम सिफारिस | १००० | |
| ४ | छात्रबृत्ति सिफारिस | निशुल्क १००० विदेश प्रयोजन | |
| ५ | विपन्न विद्यार्थी छात्रबृत्ति सिफारिस | निशुल्क | |
| ६ | अपांग सिफारिस | निशुल्क | |
| ७ | अस्थायी बसोवास सिफारिस | ५०० | |
| ८ | स्थायी बसोवास सिफारिस | ५०० | |
| ९ | नागरिकता सिफारिस प्रतिलिपि सिफारिस नागरिकता फर्म | निशुल्क ५०० ५० | संशोधित /प्रतिलिपि लिने |
| १० | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | १००० | |
| ११ | बैदेशिक प्रयोजनका लागि विभिन्न सिफारिस | १००० | |
| १२ | आर्थिक अवस्था वलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | १००० | |
| १३ | विद्युत जडान सिफारिस | २०० | |
| १४ | धारा जडान सिफारिस | १०० | |
| १५ | जिवित रहेको सिफारिस | १०० | |
| १६ | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिस, जन्ममिति संशोधन सिफारिस | २०० | |

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

| | | |
|----|---|--|
| १७ | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस वा प्रमाणित तथा आम्दानी प्रमाणित | वैदेशिक प्रयोजन प्रतिलाख रु.१०० र आन्तरिक प्रतिलाख रु.५० |
| १८ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | ५०० |
| १९ | व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस | ५०० |
| २० | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस | ५०० |
| २१ | कोट फी मिनाहा सिफारिस | ० |
| २२ | नावालक परिचय पत्र सिफारिस | निशुल्क |
| २३ | चौपाय, पन्छी निकासी सम्बन्धि सिफारिस | ५०० |
| २४ | व्यवसाय दर्ता सिफारिस | ५०० |
| २५ | उद्योग ठाउँसरी सिफारिस | ५०० |
| २६ | विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस | १००० |
| २७ | आन्तरिक बसाइँसराई सिफारिस | ५०० |
| २८ | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति/कक्षावृद्धि सिफारिस | सरकारी ०००/१०००, निजी ३०००/२००० |
| २९ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | ५०० |
| ३० | जग्गा दर्ता सिफारिस | प्रति रोपनि रु.५० |
| ३१ | संरक्षक सिफारिस(व्यक्तिगत) | २०० |
| ३२ | संरक्षक सिफारिस(संस्थागत) | ५०० |
| ३३ | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | ५०० |
| ३४ | जिवित संगको नाता प्रमाणित | २०० |
| ३५ | मृतक संगको नाता प्रमाणित | २०० |
| ३६ | कोठा खोल्ने कार्य/ रोहवरमा वस्ने कार्य | ५०० |
| ३७ | निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | निशुल्क |
| ३८ | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाइ पठाउने कार्य | निशुल्क: |
| ३९ | संस्था दर्ता सिफारिस | १००० |
| ४० | संस्था नविकरण सिफारिस | ५०० |
| ४१ | घरबाटो प्रमाणित | ५०० |
| ४२ | चार किल्ला प्रमाणित | ५०० |

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

| | | | |
|----|--|---|--|
| ४३ | जन्म समिति प्रमाणित | ५०० | |
| ४४ | विवाह प्रमाणित | ५०० | |
| ४५ | घर पातल प्रमाणित | ५०० | |
| ४६ | कागज मन्जुरीनामा प्रमाणित | ५०० | |
| ४७ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | ५०० | |
| ४८ | अविवाहित प्रमाणित | ५०० | |
| ४९ | जग्गा रेखाङ्कनको कार्य वा सो कार्यमा रोहवर | ५०० | |
| ५० | जग्गा धनी पूर्जा हराएको सिफारिस | १०० | |
| ५१ | पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | २०० | |
| ५२ | अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित | प्रति पेज रु. ५०० | |
| ५३ | मिलापत्र कागज /उजुरी दर्ता | निशुल्क: | |
| ५४ | कर तिरेको सिफारिस | १०० | |
| ५५ | जन्म दर्ता | निशुल्क | |
| ५६ | मृत्यु दर्ता(३५ दिन काटेपछि) | निशुल्क | |
| ५७ | बसाई सराई आउने/जाने दर्ता | निशुल्क | |
| ५८ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | निशुल्क | |
| ५९ | विवाह दर्ता | निशुल्क | |
| ६० | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि | ५०० | |
| ६१ | अन्य प्रमाण पत्र प्रतिलिपि | १००० | |
| ६२ | जलस्रोत उपभोक्ता समिति दर्ता नविकरण | २००० १००० | |
| ६३ | व्यवसाय दर्ता/नविकरण सिफारिस | ५०० | |
| | उल्लेखित बाहेक अन्य स्थानिय आवश्यकता अनुसारका सिफारिस/प्रमाणित/ संशोधित | ५००, सिफारिस ५००, प्रमाणित ५००, संशोधित | |
| ६४ | रुख कटान आदेश सिफारिस | ५०० | |
| ६५ | घरेलु प्रयोग हुने दुगां निकासी(प्रति घनमिटर कर) | प्रदेशले तोके बमोजिम | |
| ६६ | दुडगा गिटी बालुवा | प्रदेशले तोकेबमोजिम | |
| ६७ | घरेलु दुगां खानी दर्ता/नविकरण सिफारिस | १०,०००/५००० | |
| ६८ | सर्जिमिन मुचुल्का प्रमाणित | १००० | |

खण्ड: ५) किस्पाड गाउँपालिका, आषाढ महिना २५ गते, २०७८ साल (संख्या: १

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| ६९ | जग्गा प्लानिङ | प्रति रोपनि रु.५०० | |
| ७० | कन्सुलर प्रमाणित | ५०० प्रति व्यक्तीगत घटना | |
| ७१ | माटो परिक्षण शुल्क | १०० | |
| ७२ | गोवर परिक्षण शुल्क | २० | |
| ७३ | खसी पारेको | ५० | |
| ७४ | कृषक समुह दर्ता/नविकरण | ५००/३०० | |
| ७५ | अनुदान मल बिक्रेता सुचि दर्ता/नविकरण | ५००/३०० | |
| ७६ | संघसंस्था सिफारिस दस्तुर | | |
| | रु ५० हजारसम्मको कारोबार गर्ने संस्थासलाई | १०० | |
| | रु १ लाखसम्मको कारोबार गर्ने संस्थालाई | ३०० | |
| | रु ५ लाखसम्मको कारोबार गर्ने संस्थालाई | ५०० | |
| ७७ | रु ५ लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई | ७०० | |
| | जेष्ठ नागरिक संरक्षण सिफारिस दस्तुर | नि:शुल्क | |
| ७८ | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(२) तथा ६४ सँग सम्बन्धित यातायातका साधनहरूको शुल्क(पटके सवारी शुल्क) | | |
| ७९ | निर्माणाधिन सडक वा अन्य जुनसुकै जग्गाबाट उत्पादित गरिएको ढुङ्गा प्रति घन मिटर | प्रदेशले तोके बमोजिम | |
| ८० | आफ्नो क्षेत्र भित्र विभिन्न पूर्वाधार उपयोग गरे वापत सामुदायिक विद्युतीकरण उपयोग गर्ने घरधुरी बाट प्रति युनिट | रु ०।२५ पैसा | |
| ८१ | विभिन्न कोठहरूमा प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क | रु ५ | |
| ८२ | मदिरा खरिद गरी ल्याउने गाडीलाई | २००० | |
| | जुवातास खेलेमा | ५०० | |
| | जुवातास खेलाएमा | ५०० | |
| | मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गरेमा | ५०० | |
| | मापदण्ड विपरित मदिरा राख्नी बेचविखन गर्ने पसललाई | ५०० | |

घर नक्सा पास दस्तुर

| क्र.सं. | बिवरण | दर रु |
|---------|--|-------|
| १ | नक्सा पास निवेदन फारम दस्तुर | ७०० |
| २ | पक्की आरसीसी भवन प्रति वर्गफिट दस्तुर (बसोबास) | ५ |
| ३ | पक्की आरसीसी भवन प्रति वर्गफिट दस्तुर (व्यावसायिक) | ६ |
| ४ | जस्तापाताको छाना भएको लोडबेरिङ भवन प्रति वर्गफिट दस्तुर (बसोबास) | २ |
| ५ | जस्तापाताको छाना भएको लोडबेरिङ भवन प्रति वर्गफिट दस्तुर (व्यावसायिक) | ३ |
| ६ | नयाँ घर निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार सुधार शुल्क पक्की | ० |
| ७ | साविक घर परिवर्तन नहुने गरी मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने एकमुष्ट | ५०० |
| ८. | नक्सा नामसारि तथा नवीकरण वापत | ५०० |
| ९. | घर सम्पन्न / अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र वापत प्रति वर्गफिट | ४ |

कृपिजन्य उत्पादित बस्तुमा कुनै पनि किसिमको निकासी कर लिइने छैन ।

अनुसूचि ११
(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने पर्यटन शुल्कको दर माथि उल्लेखित बाहेक बाँकी पर्यटन शुल्क प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

आज्ञाले,

खुम बहादुर घर्ती

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत